"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153]　　रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जून 2012—आषाढ़ 7, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक 5282/21-ब/छ.ग./2012.—सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 2 की उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट अभिव्यक्त शासकीय अभिभाषकों के संदर्भ में राज्य शासन श्री संजय के. अग्रवाल, महाधिवक्ता, बिलासपुर को उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 33 नियम 6 तथा आदेश 27 नियम 4 में उल्लेखित किये गये कृत्यों को छोड़कर उन समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का, जो कि शासकीय अभिभाषक पर उक्त संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूपेण अधिरोपित हों, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में पालन करने के लिए, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. 5282/21-B/C.G./2012.—With reference to the expression "Government Pleader" contained in sub-section (7) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908), the State Government is pleased to appoint Shri Sanjay K. Agrawal, Advocate General, Bilaspur to perform in the High Court of Chhattisgarh all or any of the functions expressly imposed by the said Code on the "Government Pleader" except the functions specified in rule 6, Order XXXIII and rule 4 order XXVII First Schedule thereof, with effect from the date he assumes charge of his office.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2012

आदेश

क्रमांक 5286/21-ब/1485/एफटीसी/छ.ग./2012.—बृजमोहन लाल विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर्ड केस (सिविल) 22/2001, में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य में पूर्व में स्थापित एफ.टी.सी. न्यायालय स्कीम समाप्त करते हुए राज्य न्यायिक सेवा संवर्ग के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों की वृद्धि की सहमति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक 5288/21-ब/1764/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.